



प्रेस विज्ञप्ति

12.08.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, यमुनानगर, चंडीगढ़, पंचकूला और पंजाब एवं हरियाणा के अन्य जिलों में स्थित कृषि भूमि (100 एकड़ से अधिक), वाणिज्यिक भूमि और भवन आदि सहित लगभग 122 करोड़ रुपये की 145 अचल संपत्तियों को जब्त किया है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अवैध खनन मामले में दिलबाग सिंह (पूर्व विधायक, यमुनानगर), सुरेंद्र पंवार (विधायक सोनीपत), इंद्रपाल सिंह, मनोज वाधवा, कुलविंदर सिंह (पीएस बिल्डटेक), अंगद सिंह मक्कड़, भूपिंदर सिंह और उनके सहयोगियों से संबंधित हैं। ये सभी संपत्तियां एक सिंडिकेट चलाने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम पर पंजीकृत हैं, जिसे दिलबाग सिंह और सुरेंद्र पंवार द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित किया जाता है। जो हरियाणा के यमुनानगर और आसपास के जिलों में रेत, बोल्टर और बजरी के बड़े पैमाने पर अवैध खनन में लिप्त हैं।

ईडी ने हरियाणा पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की विभिन्न धाराओं के तहत जिला यमुना नगर में रेत, बोल्टर-बजरी और बोल्टर-बजरी-रेत के अवैध खनन से संबंधित कई एफआईआर के आधार पर विभिन्न खनन पट्टा धारक कंपनियों जैसे मेसर्स मुबारिकपुर रॉयल्टी कंपनी, मेसर्स डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स दिल्ली रॉयल्टी कंपनी, मेसर्स जेएसएम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स पीएस बिल्डटेक के खिलाफ जांच शुरू की, साथ ही विभिन्न स्क्रीनिंग प्लांट्स और स्टोन क्रशर और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भी जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चलता है कि इस मामले में अवैध खनन गतिविधियों से उत्पन्न कुल अपराध आय (पीओसी) 300 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। खनिजों (बोल्टर, बजरी और रेत) का अवैध उत्खनन और बिक्री का कार्य यमुना नगर जिले के उपरोक्त पांच खनन ठेकेदारों द्वारा किया गया था। यह खनन विभाग के पोर्टल से अपेक्षित ई-रवाना बिल बनाए बिना खनन किए गए खनिजों के अवैध परिवहन के माध्यम से या ई-रवाना बिलों की नकली भौतिक प्रतियां प्रस्तुत करके किया गया था। इन अवैध गतिविधियों से उत्पन्न नकदी को खनन संस्थाओं के लाभार्थियों के रूप में इन सदस्यों के बीच वितरित किया गया था। इससे पहले ईडी ने मामले में तलाशी ली थी और पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत दिलबाग सिंह, कुलविंदर सिंह और सुरेंद्र पंवार को गिरफ्तार किया था।

ईडी की जांच के दौरान, उपरोक्त व्यक्तियों और उनके सहयोगियों के नाम पर 145 अचल संपत्तियां मिलीं, जिनकी कीमत 122 करोड़ रुपये (लगभग) है।

आगे की जांच जारी है।